

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0.143/19 ता0रजु. 11.12.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.01.2020

सरकार

बनाम

बदनसिंह पुत्र श्रीमजुपर

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का हपूरा भलुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम हपूरा भलुका के खसरा नम्बर 622 रकदा 9.10 हैक्ट. किस्म भूमि: चारागाह पर सन्वत 2076 में श्री बदनसिंह पुत्र श्रीमजुपर, पि० हपूरा भलुका तह0 बयाना ने 0.04, 0.02, 0.04 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 622 रकदा 0.04, 0.02, 0.04 हैक्ट. वाके ग्राम हपूरा भलुका से बेदखल किया जाता है। लगान 0.14, 0.08, 0.16 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 201 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जाये। पैनल्टी धसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली याबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की प्रति सामने
श. जे. नं. 04 के पत्र नं 29
दिनांक 1/2/20
नयापैनल्टी नं 20/ 2019/20
तहसील न्यायिक सेवाका
बयाना बयाना

तहसीलदार
बयाना